न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 108 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
भंवरलाल पुत्र खीमाजी जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1. शंकरलाल पुत्र गुणेशजी ओसवाल के वारिसान 1/1गोतमचंद पुत्र शंकरलाल के वारिसान 1/1/1आशीश मेहता पुत्र गोतमचन्द 1/1/2निकीता पुत्री गोतमचंद 1/1/3ममता पुत्री गोतमचंद 1/1/4सपना पुत्री गोतमचंद 1/1/5समता पुत्री गोतमचंद 1/1/6कमला पत्नी गोतमचंद निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 1/2श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी मांगीलाल के का. मुकाम 1/2/1सुरज जीरावला पुत्र मांगीलाल 1/2/2अशोक जीवरावल पुत्र मांगीलाल 1/2/3अनता पुत्री मांगीलाल 1/3 भागुदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी नेनमल के कायम मुकाम 1/3/1कल्पना पुत्री नैनमल

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	1/3/2निर्मला पुत्री नैनमल 1/3/3रेखा पुत्री नैनमल 1/3/4राजेश्वरी पुत्री नैनमल 1/3/5विजयावेन पुत्री नैनमल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 1/4उमीयादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी नवरतन के वारिसान 1/4/1देवकीबेन पुत्री नवरतन 1/4/2महेन्द्र पुत्र नवरतन 1/4/3हुकमीचंद पुत्र नवरतन जाति ओसवाल निवासी पचपदरा 1/5 मंजुदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी रमेश के कायम मुकाम 1/5/1धवन पुत्र रमेश 1/5/2रणजीत पुत्र रमेश 1/5/3सीमा पुत्री रमेश निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा 1/6निर्मलादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी ताराचन्द के कायम मुकाम 1/6/1मुकेश पुत्र ताराचन्द 1/6/2रेखा पुत्री ताराचंद 1/6/3सीमा पुत्री ताराचंद जाति ओसवाल निवासी बांलोतरा तहसील पचपदरा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	1/7अमावीदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी पुखराज के कायम मुकाम 1/7/1विजय बागमार पुत्र पुखराज 1/7/2महेन्द्र बागमार पुत्र पुखराज 1/7/3महेश बागमार पुत्र पुखराज निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 2. रतन पुत्र खीमाजी 3. रणछोड़ पुत्र खीमाजी 4. छगन पुत्र खीमाजी जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा 6. गोविंदसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी डंडाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. हरिसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी एम आई फैक्ट्री के सामने, समदड़ी रोड़, बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2023 बअनवान भंवरलाल बनाम शंकरलाल के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री राजेश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 1/1/1 की ओर से।
3. वकील श्री छत्रकरण सेन रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि खेत खसरा संख्या 542 रकबा 2.8454 हैक्टयर मौजा रामसीण तहसील पचपदरा में अवस्थित है, जिसके पुराने खसरा संख्या 617 रकबा 09.05 बीघा व खसरा संख्या 616 रकबा 10.05 बीघा थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.04. 1970 को अपीलाधीन आराजी खरीद की थी। वक्त रजिस्ट्री से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा व काश्त है। पुराने खसरा संख्या 625 रकबा 07.01 बीघा, खसरा संख्या 626 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 617 रकबा 09.05 बीघा, खसरा संख्या 616 रकबा 10.05 बीघा, खसरा संख्या 627 रकबा 02.09 बीघा कुल रकबा 33.15 बीघा। आगे यह भी अभिकथन किया कि वादी के पिता खीमाजी वल्द हंजारजी जाति घांची द्वारा प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्वर्गीय शंकरलाल पुत्र गुणेशमलजी जैन से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के अल्प वयस्कता की उम्र में खरीद की गई थी जो खरीद दिनांक 13.04.1970 को पंजीबद्ध की गई थी। संवत 2024—25 में सरहद मौजा रामसीन का नया सेटलमेंट हुआ तथा उपरोक्त पुराने खसरान के नये खसरा नम्बर बने जो निम्न प्रकार हैंः— खसरा संख्या 616 व खसरा संख्या 617 दोनों खसरान से नया एक खसरा संख्या 542 बना। खसरा संख्या 625 व 627 के नये खसरा संख्या 556 बने इसमें दो अन्य खसरा संख्या 619 व 620 भी शामिल कर लिये गये। वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के पिताजी खीमाजी द्वारा उपरोक्त खेत वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के पिताजी खीमाजी द्वारा उपरोक्त खेत वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के नाम से खरीद की थी व उसके बाद दिनांक 26.07.1971 को नामांतकरण संख्या 226 वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के नाम से खरीद की थी व उसके बाद दिनांक 26.07.1971 को नामांतकरण संख्या 226 वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के नाम से भरा गया तथा संवत 2027—2030 की जमाबंदी में इन्द्राज हो गया व आज भी वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 का कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की सहवन से नये सेटलमेंट के खसरों का इन्द्राज करते वक्त वादी एवं पार्टी संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 616 व 617 के नये खसरा संख्या 542 बनाये उस वक्त नये खसरों की जमाबंदी में इन्द्राज करते वक्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से जमाबंदी नहीं बनाकर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी शंकरलाल पुत्र गुणेशमल ओसवाल के नाम से अशुद्ध जमाबंदी बना दी थी जिसका वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के अल्प आयु के कारण कोई इल्म नहीं रहा। वादी के पिता अनपढ व अनभिज्ञ होने के कारण इस भूल का मालुम नहीं पड़ सका व कानूनी जानकारी भी नहीं थी। उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज दुरस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 02 से 4 ने मिलकर मुझ वादी को बिना जानकारी में लाये बाले–बाले दिनांक 23.10.1991 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 339/1991 दर्ज हुआ जिसमें मेरे हस्ताक्षर तक नहीं करवाये। उक्त वाद दिनांक 17.07.1995 को नो इंस्ट्रक्शन प्लीड में खारिज कर दिया गया। उक्त दावे में न तो मुझे नोटिस दिया गया, न ही मेरे हस्ताक्षर हैं। मुझे सुने बिना ही आदेश पारित किया गया। उक्त दावा मेरे विरूद्ध किसी प्रकार से प्रभाव नहीं रखता है। प्रतिवादी संख्या 4 छगनलाल ने उपरोक्त विक्रय विलेख को आधार बताकर अधिकार घोषणा व रैकर्ड दुरस्ती का वाद पत्र दिनांक 26.07.2000 को प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 102/2000 पर दर्ज किया गया। उक्त वाद से मुझ वादी को अनभिज्ञ रखा गया तथा मुझ वादी को सुना तक नहीं गया व मेरी अनुपस्थिति में दिनांक 15.09.2006 को खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त दावे के निर्णय से मेरे हकों पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं रखता हैं। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिताजी खीमाजी ने जरिये विक्रय विलेख खरीद की थी जो भूमि वादी के 1/4 हिस्से की हक अधिकार की है। यदि उक्त भूमि वादी की खातेदारी की घोषित नहीं की जाती हैं तो वादी के हकुकों का हनन होगा। ऐसी स्थिति में वादी की उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 542 में अपना नाम दर्ज करवाना आवश्यक हैं जिससे यह दावा प्रतिवादी पार्टी संख्या 01 के विरूद्ध अधिकारों की घोषणा व रैकर्ड दुरस्ती हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। वादीगण द्वारा पेश वाद को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अपने अनुतोष के अनुसार बहस में बताया कि खेत खसरा संख्या 542 रकबा 2.8454 हैक्टयर मौजा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रामसीण तहसील पचपदरा में अवस्थित है, जिसके पुराने खसरा संख्या 617 रकबा 09.05 बीघा व खसरा संख्या 616 रकबा 10.05 बीघा थे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.04.1970 को अपीलाधीन आराजी खरीद की थी। वक्त रजिस्ट्री से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा व काश्त है। पुराने खसरा संख्या 625 रकबा 07.01 बीघा, खसरा संख्या 626 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 617 रकबा 09.05 बीघा, खसरा संख्या 616 रकबा 10.05 बीघा, खसरा संख्या 627 रकबा 02.09 बीघा कुल रकबा 33.15 बीघा। आगे यह भी अभिकथन किया कि वादी के पिता खीमाजी वल्द हंजारजी जाति घांची द्वारा प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी स्वर्गीय शंकरलाल पुत्र गुणेशमलजी जैन से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के अल्प व्यस्कता की उम्र में खरीद की गई थी जो खरीद दिनांक 13.04.1970 को पंजीबद्ध की गई थी। संवत 2024–25 में सरहद मौजा रामसीन का नया सेटलमेंट हुआ तथा उपरोक्त पुराने खसरान के नये खसरा नम्बर बने जो निम्न प्रकार हैः– खसरा संख्या 616 व खसरा संख्या 617 दोनों खसरान से नया एक खसरा संख्या 542 बना। खसरा संख्या 625 व 627 के नये खसरा संख्या 556 बने इसमें दो अन्य खसरा संख्या 619 व 620 भी शामिल कर लिये गये। वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के पिताजी खीमाजी द्वारा उपरोक्त खेत वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के पिताजी खीमाजी द्वारा उपरोक्त खेत वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के नाम से खरीद की थी व उसके बाद दिनांक 26.07.1971 को नामांतकरण संख्या 226 वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के नाम से खरीद की थी व उसके बाद दिनांक 26.07.1971 को नामांतकरण संख्या 226 वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के नाम से भरा गया तथा संवत 2027–2030 की जमाबंदी में इन्द्राज हो गया व आज भी वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 का कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की सहवन से नये सेटलमेंट के खसरों का इन्द्राज करते वक्त वादी एवं पार्टी संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 616 व 617 के नये खसरा संख्या 542 बनाये उस वक्त नये खसरों की जमाबंदी में इन्द्राज करते वक्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से जमाबंदी नहीं बनाकर प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी शंकरलाल पुत्र गुणेशमल ओसवाल के नाम से अशुद्ध जमाबंदी बना दी थी जिसका वादी एवं प्रतिवादी पार्टी संख्या 2 के अल्प आयु के कारण कोई इल्म नहीं रहा। वादी के पिता अनपढ व अनभिज्ञ होने के कारण इस भूल का मालुम नहीं पड़ सका व कानूनी जानकारी भी नहीं थी। उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज दुरस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 02 से 4 ने मिलकर मुझ वादी को बिना जानकारी में लाये बाले–बाले दिनांक 23.10.1991 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 339/1991 दर्ज हुआ जिसमें मेरे हस्ताक्षर तक नहीं करवाये।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त वाद दिनांक 17.07.1995 को 'नो इंस्ट्रक्शन प्लीड' में खारिज कर दिया गया। उक्त दावे में न तो मुझे नोटिस दिया गया, न ही मेरे हस्ताक्षर है। मुझे सुने बिना ही आदेश पारित किया गया। उक्त दावा मेरे विरूद्ध किसी प्रकार से प्रभाव नहीं रखता है। प्रतिवादी संख्या 4 छगनलाल ने उपरोक्त विक्रय विलेख को आधार बताकर अधिकार घोषणा व रैकर्ड दुरस्ती का वाद पत्र दिनांक 26.07.2000 को प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 102/2000 पर दर्ज किया गया। उक्त वाद से मुझ वादी को अनभिज्ञ रखा गया तथा मुझ वादी को सुना तक नहीं गया व मेरी अनुपस्थिति में दिनांक 15.09.2006 को खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त दावे के निर्णय से मेरे हकों पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं रखता हैं। उपरोक्त दोनों पूर्व के वादों से अपीलकर्ता अनभिज्ञ था एवं उपरोक्त पूर्व वादों के तथ्यों को भी अपीलकर्ता द्वारा अपने वाद पत्र में उल्लेखित किया है। जिससे यह प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि अपीलकर्ता पूर्णतया स्वच्छ हाथों से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने हक व हकुको की इस्तदुआ चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को रेस ज्युडिकेटा की श्रेणी में अपने की भारी विधि की भूल की है वास्तव में रेस ज्युडिकेटा के प्रावधान तब लागू होते हैं जब अपीलकर्ता स्वयं द्वारा पूर्व के दोनों वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते एवं तत्पश्चात उपरोक्त दोनों वादों में प्रतिवादीगण का जबाव लिया जाकर दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किये जाते तब अवश्य ही हस्तगत वाद रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता। परंतु उपरोक्त दोनों वाद मेरिट पर एवं गुणावगुण पर निस्तारित नहीं हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में आदेश 09 नियम 08 एवं आदेश 09 नियम 09 सी पी सी की व्याख्या करते हुए हस्तगत वाद को रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में मानने में भारी भूल की है। वाद संख्या 339/1991 वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही अपीलकर्ता के उक्त वाद पत्र पर हस्ताक्षर हैं। न ही उक्त वाद में अपीलकर्ता द्वारा कोई वकालतनामा अधिवक्ता को दिया गया। ऐसी स्थिति में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि आदेश 09 नियम 08 सी पी सी के प्रावधान वादी अपीलकर्ता पर लागू नहीं होते हैं। आदेश 09 नियम 09 सी पी सी के संबंध में नये वाद के वर्जन करने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं परन्तु जहां वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत ही नहीं किया गया तो उक्त प्रावधान वादी पर लागू नहीं होते हैं। वाद संख्या 102/2000 में जब वादी को न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई सम्मन नोटिस इत्यादि प्राप्त ही नहीं हुआ और अपीलकर्ता वादी अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता व स्वयं हाजिर ही नहीं हुआ तो आदेश 09 नियम 08 व आदेश 09 नियम 09 सी पी सी के प्रावधान अपीलकर्ता पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार किसी अन्य

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व्यक्ति द्वारा की गई कार्यवाहियों से अपीलकर्ता पाबंद नहीं हैं न ही प्रभावित होता है। अपीलकर्ता के हक हिस्से के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। हस्तगत मूल वाद के विचारण में रहते प्रतिवादीगण द्वारा अपीलाधीन आरांजी का बेचान किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा यह बार–बार प्रतिपादित किया गया कि प्रारम्भिक स्टेज पर वाद पत्र को खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं हैं। माननीय उपरोक्त दोनों न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया कि वाद पत्र में कोई विधिक प्रश्न अर्न्तनिहित है तो उक्त विधिक प्रश्न पर विधिक तनकी कायम की जाकर, उक्त विधिक तनकी पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरांत ही उक्त विधिक तनकी का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में न तो कोई विधिक तनकी कायम की गई और न ही उक्त तनकी पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध कर गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर हस्तगत वाद को खारिज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया न्यायोचित एवं न्याय संगत प्रतीत नहीं होता हैं। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिताजी खीमाजी ने जरिये विक्रय विलेख खरीद की थी जो भूमि वादी के 1/4 हिस्से की हक अधिकार की है। यदि उक्त भूमि वादी की खातेदारी की घोषित नहीं की जाती हैं तो वादी के हकूकों का हनन होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1/1 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलकर्ता/वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन भूमि की खातेदारी हक घोषणा हेतु पूर्व में इन्हीं तथ्यों के आधार पर वाद संख्या 339/1991 बउनवान छगनलाल वगैरह बनाम गौतमचंद वगैरह पेश किया जो दिनांक 17.07.1995 वकील वादी द्वारा पेरोकारी के निर्देश नहीं होना जाहिर करने पर खारिज किया गया। उपरोक्त वाद खारिज होने के पश्चात नया वाद संख्या 102/2000 बउनवान छगन बनाम गौतमचंद वगैरह पेश किया। नया वाद लाना विधि वर्जित था। उक्त वाद दिनांक 15.09.2006 को खारिज कर दिया गया। उक्त वाद में अपीलकर्ता/वादी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्वयं पक्षकार संयोजित था। उक्त निर्णय की कोई अपील नहीं हुई। इस प्रकार निर्णय अंतिम रहा जो रेसज्यूडीकेटा का असर रखता हैं। जिससे नया वाद लाने से वादी बाधित हैं। पार्टी संख्या 02 अपीलांट के भाई हैं। समान पक्षकारों एवं समान आराजी को लेकर पूर्व में वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये। प्रतिवादी द्वारा अपीलाधीन आराजी को प्रतिफल देकर क्रय की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील/वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

उतरदाता संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट पूर्व के वादों में उपस्थित नहीं था। अपीलांट को पूर्व के वाद में न तो सम्मन तामील हुए। न ही अपीलांट स्वयं या अधिवक्ता के जरिये न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अन्य पक्षकारों द्वारा की गई कार्यवाही से अपीलांट बाधित/पाबंद नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व के वादों को गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलकर्ता द्वारा हस्तगत वाद पेश कर मौजा रामसीन तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 542 (पुराने खसरा संख्या 616 व 617) रकबा (2.8454 हैक्टयर) 11.0500 हैक्टयर भूमि में से 1/4 हिस्सा का वादी/अपीलकर्ता को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई। जबकि अपीलाधीन आराजी के संबंध में दावा संख्या 339/1991 बउनवान छगन बनाम गौतमचंद वगेरह दिनांक 25.10.1991 को दर्ज रजिस्टर हुआ। बाद सुनवाई वादीगण के अधिवक्ता के नो इंस्ट्रक्शन के आधार पर दिनांक 17.07.1995 को खारिज किया गया। उक्त वाद में वर्तमान प्रकरण में वादी/अपीलकर्ता भंवरलाल बतौर वादी पक्षकार था। तथा उक्त प्रकरण लगभग 03 वर्ष से अधिक समय तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा तथा बाद सुनवाई पैरवी हिदायत नहीं होने के कारण खारिज किया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। हस्तगत दावे में पार्टी संख्या 02 में प्रतिवादी छगनलाल की ओर से इसी अपीलाधीन आराजी के संबंध में समान पक्षकारों के विरूद्ध वादपत्र पेश किया गया। जो मुकदमा संख्या 102/2000 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 10 के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी पेश हुआ। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर बाद सुनवाई वादी का वाद विधि से वर्जित मानते हुए निर्णय दिनांक 15.09.2006 के द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया। तत्पश्चात लगभग 16 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात वादी/अपीलकर्ता भंवरलाल द्वारा इसी अपीलाधीन आराजी के संबंध में समान पक्षकारों के विरूद्ध हस्तगत वाद पुनः पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद समुचित सुनवाई हस्तगत वाद को विधि वर्जित होने से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों एवं मेरी सुविचारित राय में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती हैं।

लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2023 बअनवान भंवरलाल बनाम शंकरलाल के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

18/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर